भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 544
उत्तर देने की तारीख : 23.07.2025
सीखो और कमाओ (एसएके) योजना

544. श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीखो और कमाओ (एसएके) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्यवार और जिलावार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश राज्य के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्यों को राज्यवार और जिलावार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए संस्वीकृत और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली अल्पसंख्यक समुदायों के बालिकाओं/महिलाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास इस योजना के अंतर्गत चलाए गए कौशल उन्नयन कार्यक्रमों/गतिविधियों के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए प्रशिक्षित लोगों की संख्या सहित तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क), (ख), (घ) और (ङ): सीखो और कमाओ (SAK) योजना, 2013-14 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य 14-45 वर्ष की आयु के अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल को उनकी योग्यता, प्रचलित आर्थिक रुझानों और बाजार क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में उन्नत करना था, जिससे उन्हें उपयुक्त रोजगार मिल सके या वे स्वरोजगार शुरू करने के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बन सके। इस योजना के अंतर्गत, शुरुआत से 4.68 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 15,958 आंध्र प्रदेश राज्य में प्रशिक्षित किए गए। मंत्रालय ने इस योजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया और इसलिए जिला स्तर के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इसके अलावा, चूंकि परियोजना अलग-अलग/एकाधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित विभिन्न PIA (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों) को आवंटित की गई है, इसलिए राज्यवार व्यय का डेटा नहीं रखा जाता है। हालाँकि, राज्यवार प्रशिक्षित लाभार्थियों की सूची अनुबंध में दी गई है।

तत्पश्चात् इस योजना को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) नामक एक नई एकीकृत योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है जो कौशल विकास के माध्यम से अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, अल्पसंख्यक महिलाओं की उद्यमिता और नेतृत्व, तथा ड्रापआउट बच्चों के लिए शिक्षा सहायता पर केंद्रित है।

(ग) सीखो और कमाओ योजना के तहत, शुरुआत से अब तक 2.69 लाख से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अलावा, सीखो और कमाओ के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक परियोजना का 3% दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित किया गया था और तद्नुसार लाभार्थियों का चयन दिव्यांगजन श्रेणी से किया गया था।

*****

अनुबंध

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सीखो और कमाओ योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या (शुरुआत से)	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीखो और कमाओ के अंतर्गत कुल लाभार्थी
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-
आंध्र प्रदेश	15,958
अरुणाचल प्रदेश	1,164
असम	20,243
बिहार	38,681
चंडीगढ़	226
छत्तीसगढ़	3,338
दिल्ली	10,920
गोवा	480
गुजरात	12,701
हरियाणा	13,926
हिमाचल प्रदेश	3,301
जम्मू और कश्मीर	42,372
झारखंड	15,996
कर्नाटक	9,478
केरल	3,348
लद्दाख	3
मध्य प्रदेश	45,980
महाराष्ट्र	15,980
मणिपुर	3,848
मेघालय	2,477
मिजोरम	1,290
नागालैंड	1,348
ओडिशा	2,734
पुडुचेरी	104
पंजाब	31,230
राजस्थान	15,899
सिक्किम	1,449
तमिलनाडु	3,977
तेलंगाना	16,935
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2
त्रिपुरा	2,430
उत्तर प्रदेश	92,223
उत्तराखंड	5,652
पश्चिम बंगाल	32,477
कुल	**4,68,170**

*****